तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 49 / 18 हंसराज बनाम बृजलाल आदि 261 क आर.टी.ए.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
23.07.2019	वकुलाए फरीकेन हाजिर। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी हंसराज पुत्र मनीराम अपनी खातेदारी भूमि चक 63 आरबी के मु.नं. 1 प.नं. 184/206 के कि.नं. 10, 11, 12, 19, 20 में आने जाने के लिए रास्ता नही है। प्रार्थी की सुविधा को मध्य नजर रखते हुए इसी चक के मु.नं. 1 के कि.नं. 21 में 0.02 बिस्वा तक इसी चक के मु.नं. 4 के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 में से 2-2 बिस्वा भूमि में से स्वीकृत किया जावे जो कि अप्रार्थी बृजलाल-लालचन्द पि0 तेजाराम व राजन राम-जगराम की खातेदारी भूमि है। प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। इनकी ओर से श्री कर्णजोशी अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता की आवश्यकता नही है। अप्रार्थीगण को परेशान करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। जबकि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आरबी नहर के साथ-साथ मौका पर चालू रास्ते के जरिये अपने खेत में आ जा सकता है तथा मु.नं. 1 का अन्य रकबा प्रार्थी के भाई पिता का खातेदारी रकबा है। जो कि मु.नं. 1 के कि.नं. 1 व 10 मे रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है। जो सबसे छोटा व सुगम रास्ता है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जावे। तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक 340 दिनांक 18.04.19 के द्वारा प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आने के लिए चक 63 आरबी के मु.नं. 1 के कि.नं. 21 व मु.नं. 4 के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 मे कोई रास्ता मौका पर चालू नही है। मु.नं. 4 के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 अप्रार्थीगण के खातेदारी भूमि है। मु.नं. 4 के कि. नं. 21 की दक्षिण दिशा व मु.नं. 5 के कि.नं. 1 ता 5 मे मौका पर रास्ता जमाबन्दी मे चालू व दर्ज है। जमाबन्दी रिकार्ड कोई विवाद/न्यायालय स्थगन नही है। बहस पक्षकारान अधिवक्ता सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थना-पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराया तथा रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस मे जवाब प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को अपनी बहस में दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। बहस पक्षकारान पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि चक 63 आरबी के मु.नं. 1 के कि.नं. 10, 11, 12, 19, 20 में आने जाने के लिए इसी चक के मु. नं. 1 कि.नं. 21 व इसी चक के मु.नं. 4 के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 मे रास्ता चाहा जो उसकी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए सुविधाजनक है। जबकि प्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि आरबी नहर के साथ मौके पर चालू रास्ते से अपने खेत	

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

में आता जाता है, तथा मु.नं. 1 का अन्य रकबा भी प्रार्थी के परिवार का है। पत्रावली में उपलब्ध नक्शा मौका के अवलोकन से पाया गया कि आरबी नहर के साथ रास्ता मंजूर नही है। जो कि रकबा नहरी विभाग का है। मु.नं. 5 के कि.नं. 1 ता 5 में मंजूर शुद्धा रास्ता भी दूर पड़ता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की सुविधा को मध्य नजर रखते हुए प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता वर्तमान डीएलसी की दर की दुगुनी राशि पर स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है।

उक्त विवेचन के आधार पर वाके चक 63 आरबी के मु.नं. 1 के कि.नं. 21 में 2 बिस्वा, इसी चक के मु.नं. 4 के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 में से प्रत्येक का 2–2 बिस्वा रास्ता वर्तमान डीएलसी दर की दुगुनी राशि पर स्वीकृत किया जाता है। राशि जमा होने पर रास्ता चालू करवाया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तथा राशि का भुगतान अप्रार्थी 1 ता 3 को नियमानुसार किया जावे। तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम आदेश जारी हो। पत्रावली फैसले मे शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner